निगरानी क्र. 911-III-/15

रा०रा० श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० केम्प इन्दौर

1) प्रबोध कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर म०प्र०

2) राकेश कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर म०प्र०

3) अमित कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर म०प्र०

4) प्रभा पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी इंदौर जिला इंदौर

5) एडना पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी जयपुर ह०मु० महू जिला इंदौर

6) मालिनी पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर

7) श्वेता पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर .. रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

1) काशीराम पिता मांगीलाल काक्षी
निवासी बडवानी चांदशाँ मोहल्ला बडवानी

2) प्रेमसिंह पिता रजान पटेल
निवासी साईनाथ कॉलोनी बडवानी ..प्रतिप्रार्थीगण

रिवीजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि -

1. यह कि रिवीजनकर्ता के द्वारा यह रिवीजन अधिनस्थ न्याया० श्रीमान कलेक्टर महोदय कलेक्टर बडवानी के द्वारा अपील

श्री मोहन पारीख Adv. प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 17/04/2015 को प्रस्तुत
1162
17-04-15

(Mohan Sharma Adv)
22/4/15

Copy received by me

प्रबोध कुमार राकेश किरादिया अमित किरादिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला बडवानी

प्रकरण कमांक निगरानी 911–तीन / 2015

प्रबोध कुमार आदि विरूद्ध काशीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–5–2015	आवेदक अभिभाषक एवं केवीयेटकर्ता अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर बडवानी के प्रकरण कमांक 30/अ–23/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 07–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 3/ कलेक्टर के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने आवेदकों की से प्रस्तुत निगरानी को विलब के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसे समयबाधित मानते हुये अग्राह्य किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में विस्तार से विलम्ब के संबंध में विवेचना कर आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के अतिरिक्त इस न्यायालय में भी आवेदकों द्वारा निगरानी 05 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में आवेदकों ने निगरानी इस न्यायालय में भी अवधि बाह्य प्रस्तुत की है। फलस्वरूप यह निगरानी अवधि बाह्य एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	